

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

आदेश

सं०:- प्र०/ऊर्जा-निग०-20/2024-

पटना, दिनांक:-

श्री खगेश चौधरी, तत्कालीन परियोजना, निदेशक, ब्रेडा के विरुद्ध आरोपों की जाँच हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-60 दिनांक-25.07.2024 एवं कार्यालय आदेश संख्या-71, दिनांक-10.09.2024 द्वारा गठित जाँच समिति ने दो वर्ष की अवधि के पश्चात् अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की पुनः समीक्षा एवं इस पर मंतव्य हेतु एक विशेषज्ञ जाँच समिति का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है:-

- (i) श्री एस० के० पी० सिंह, IDCC, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०, पटना।
 - (ii) श्रीमती संगीता प्रसाद, अंकेक्षण सलाहकार, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०, पटना।
 - (iii) श्री दिलीप कुमार, मुख्य अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि०, पटना।
2. उक्त प्रतिवेदन की प्रति विशेषज्ञ जाँच समिति को उपलब्ध कराया जाता है।
3. विशेषज्ञ जाँच समिति को निदेश दिया जाता है कि एक माह के अंदर जाँच प्रतिवेदन की पुनः समीक्षा कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राज किशोर लाल)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- प्र०/ऊर्जा-निग०-20/2024 4660 पटना, दिनांक:- 14.09.2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/श्री एस० के० पी० सिंह, IDCC, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०, पटना/ श्रीमती संगीता प्रसाद, अंकेक्षण सलाहकार, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०, पटना/ श्री दिलीप कुमार, मुख्य अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि०, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/09/26

सरकार के उप सचिव।



1933006

1933006

1933006